

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-153/18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मंगरा मुण्डा

मीनू बड़ाईक वो कुमार गौतम

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर																
29.10.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक मंगरा मुण्डा पिता कोचा मुण्डा ग्राम काटमकुकु, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने 1. मीनू बड़ाईक पति पवन कुमार बड़ाईक वो 2. कुमार गौतम पिता आनन्द कुमार बड़ाईक ग्राम मेरले, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकवा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">काटमकुकु</td> <td rowspan="3">158</td> <td>16</td> <td>107</td> <td>0.05.64</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>106/644</td> <td>0.06.40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.12.04</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 0578330879 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 799 दिनांक 23.10.18 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बुका मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार कोचा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 7.81 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 3.90 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 20608.00(बीस हजार छः सौ आठ)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 3.76 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मंगरा मुण्डा पिता कोचा मुण्डा को 1. मीनू बड़ाईक पति पवन कुमार बड़ाईक वो 2. कुमार गौतम पिता आनन्द कुमार बड़ाईक के साथ ग्राम काटमकुकु के खाता सं० 16, 17 खेसरा संख्या 107, 106/644 का रकबा 0.12.04 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 20608.00(बीस हजार छः सौ आठ)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकवा (एकड़ में)	काटमकुकु	158	16	107	0.05.64	17	106/644	0.06.40			0.12.04
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकवा (एकड़ में)													
काटमकुकु	158	16	107	0.05.64													
		17	106/644	0.06.40													
				0.12.04													